U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवनः 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
महाप्रबन्धक (औ0स0) e-mail-ashok.agnihotri@yahoo.com

सं0 3492– औस/10–11(4) एफ/86 दिनांकः 18.08.2010

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा, शक्ति भवन एवं शक्ति भवन (विस्तार) में सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिको, पारिवारिक पेन्शन धारको तथा उनके आश्रितो की सुविधा हेतु डा0 आफताब हुसैन एवं डा0 सुनीता चतुर्वेदी की पार्ट टाइम स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त की जाती है। यह नियुक्ति निम्न शर्तो के अनुसार होगी–

अ. प्रत्येक स्वास्थय परामर्श–दाता को सप्ताह में तीन बार (सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) एवं माह में अधिकतम् 12 बार शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार में निर्देशित स्थान पर आना होगा। स्वास्थय परामर्श–दाता की सेवाओं का समय सायः 3:00 से 5:00 बजे होगा,

ब. यदि किसी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को अवकाश होता है तो अवकाश के स्थान पर स्वास्थय परामर्श–दाता को अगले कार्य–दिवस में आना होगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थय परामर्श–दाता अवकाश के पूर्व के दिवस पर परामर्श–स्थल पर सूचना उपलब्ध करायेगे। प्रत्येक दशा में स्वास्थय परामर्श–दाता को माह में 12 दिन आना अनिवार्य होगा,

स. स्वास्थय परामर्श–दाता कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिको, पारिवारिक पेन्शन धारको तथा उनके आश्रितो को स्वास्थय/चिकित्सा सम्बन्धी पूरा परामर्श उपलब्ध करायेगे। इस प्रकिया में मामूली ड्रेसिंग एवं टीका आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी,

द. स्वास्थय परामर्श–दाता कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिको, पारिवारिक पेन्शन धारको तथा उनके आश्रितो आदि को कारपोरेशन में लागू नियमो के अनुसार विभिन्न परीक्षणो एवं चिकित्सालयो/संस्थानो में आवश्यकतानुसार भर्ती किये जाने हेतु परामर्शित करेगे और वे इन प्रकरणो में सक्षम अधिकारी/चिकित्साधिकारी होगे,

य. स्वास्थय परामर्श–दाता को रू0 1500/– प्रति बार की दर से मानदेय अनुमन्य होगा,

र. स्वास्थय परामर्श–दाता मानदेय प्राप्ति हेतु माह के अन्त में अपना प्रीरिसीट बीजक महाप्रबन्धक (औस)/उप महाप्रबन्धक (औस)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगे। बीजक प्राप्ति पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उनके भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी,

ल. उक्त स्वास्थय परामर्श–दाताओं की सेवाये बिना किसी पूर्व नोटिस/प्रतिकर अथवा कारण बताये किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी,

2 उक्त स्वास्थ्य परामर्श–दाताओं के बैठने आदि की व्यवस्था मुख्य अभियन्ता, जानपद, पारेषण–द्वितीय, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन, 9 वॉ तल, शक्ति भवन (विस्तार), 14– अशोक मार्ग लखनऊ द्वारा की जायेगी।

नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

2/–...........

<u>पृष्ठांकन सं0 3492 (1)– औस / 10–11(4) एफ / 86 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त) / (वितरण) / (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. कार्यकारी (निदेशक), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11 वॉ तल,शक्ति भवन (विस्तार),14– अशोक मार्ग लखनऊ।
5. महा प्रबन्धक (औस) / अपर सचिव (1) / (2) / (3) / (अराजपत्रित), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन, लेखा) / लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार में नियुक्त सभी मुख्य अभियन्ता।
8. मुख्य अभियन्ता, जानपद, पारेषण–द्वितीय, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन, 9 वॉ तल,शक्ति भवन (विस्तार),14– अशोक मार्ग लखनऊ।
9. विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ0प्र0, 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर, मुइयन, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ।
10. डा0 आफताब हुसैन, 2 / 25, विशाल खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ (फोन–0522–4009039, 9335816958)
11. डा0 सुनीता चतुर्वेदी, 17 / 12, हाइडिल कालोनी, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ (फोन 9335248267)

आज्ञा से,

(अशोक अग्निहोत्री)

महाप्रबन्धक (औ0सं0)